

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर।

संख्या :- 086 / 2024

राजूलाल बनाम नाथूलाल

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष
विवरण

05.01.2024

प्रार्थी की ओर से वकील सुरेश कुमार शर्मा में यह अतर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 28.02.2024 को पेश हो।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित करने व नवनिर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की आकरिमकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रूप से इस आशय की जारी की जाती है। कि अप्रार्थीगण ग्राम कुम्हारियावास के खसरा नंबर 223, 227 कुल किता 02 कुल रकबा .0.81 है 0 वाके ग्राम कुम्हारियावास पटवार हल्का कुम्हारियावास तहसील चाकसू का रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। स्थगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अमल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीयों की नोटिस की तामील की सामान्य एवं साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेकाकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करे तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करे अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकैट कर दी जावेगी।

पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 28.02.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

29/1/24

पत्रावली आज द्वावे की पत्रावली के साथ तलब की गई
वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उपर वकील प्रार्थी के विज्ञापन पत्र
पेश कर दवा विज्ञापन व स्वयं प्रार्थी के स्टूने पर प्रा. पत्र
212 RTA का विज्ञापन (खारिज) किया जाता है। प्रा. पत्र 212 RTA
का विज्ञापन होने से न्यायालय आज का पूर्व स्थगन आदेश दिनांक
21/1/24 का प्रभावहीन हो गया। पत्रावली वाद तत्काल
दायित्व पत्र दी।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)